HUMAN RIGHTS WATCH

भारत में विकलांग महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा

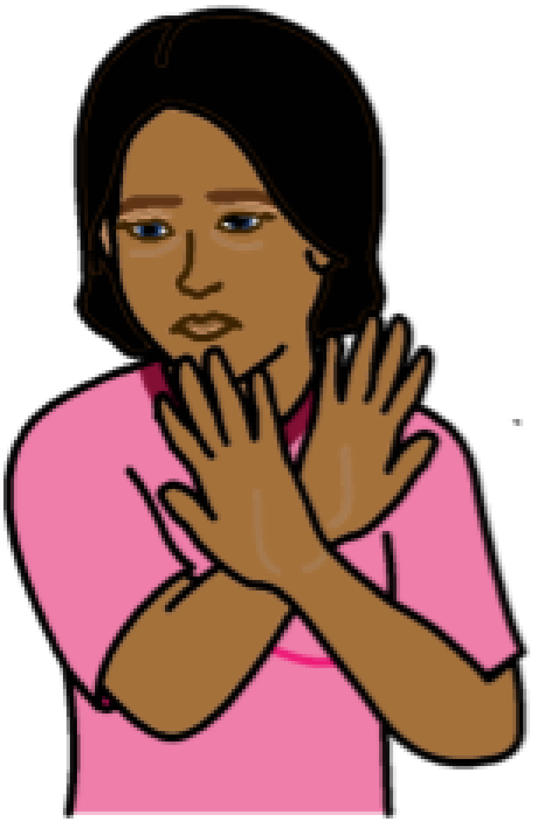

यौन हिंसा के अदृश्य पीड़ित

कौन हैं हम

हम ह्यूमन राइट्स वॉच के नाम से जाने जाते हैं.

हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं कि दुनिया में हर एक को एक जैसा न्याय और उनका अधिकार मिले.

इस रिपोर्ट में क्या है?

यह रिपोर्ट भारत की विकलांग महिलाओं और लड़कियों के बारे में है.

यह उनके साथ संभावित यौन हिंसा के बारे में है.

जब कोई किसी की सहमति के बिना जबरन यौन संबंध बनाता है या यौन कार्य करता है तो इसे यौन हिंसा कहते हैं.

बलात्कार एक प्रकार की यौन हिंसा है.

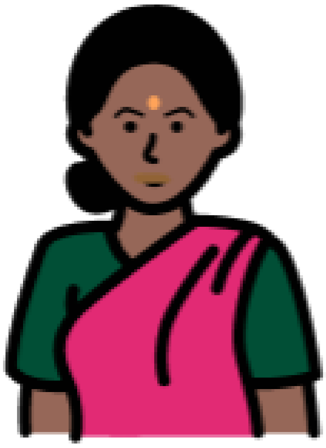

भारत में विकलांग महिलाएं और लड़कियां अक्सर यौन हिंसा का सामना करती हैं.

हमने भारत की 17 विकलांग महिलाओं और लड़कियों के साथ हुए बलात्कार के मामलों की पड़ताल की है.

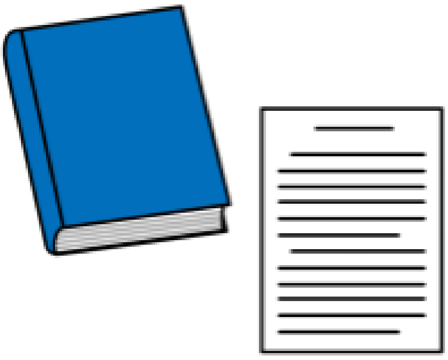

यह रिपोर्ट आपको हमारे जांच निष्कर्ष के बारे में बताती है.

भारत में विकलांग महिलाएं और लड़कियां किन समस्याओं का सामना करती हैं?

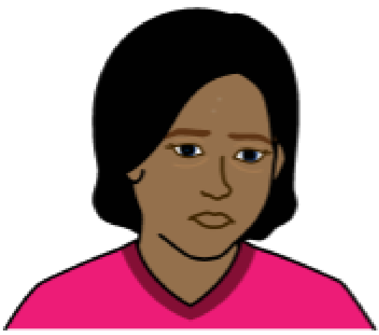

अनेक विकलांग महिलाओं और लड़कियों को यौन हिंसा का शिकार होने पर ज़रूरी मदद नहीं मिल पाती है.

इसके कई कारण हैं.

यौन हिंसा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना

अनेक विकलांग महिलाओं और लड़कियों के लिए मुश्किल हो सकता है:

- खतरे से दूर भागना या मदद के लिए आवाज़ लगाना
- यह समझना कि उनके साथ कोई अपराध हुआ है
- अपने साथ हुई घटना के बारे में दूसरों को बताना

पुलिस और अदालतों से सहायता

पुलिस और अदालतों को शायद यह पता नहीं हो कि विकलांग महिलाओं और लड़कियों की सहायता कैसे करें.

उदाहरण के लिए, पुलिस विकलांग महिलाओं और लड़कियों की विकलांगता की वजह से उन पर विश्वास ना करे.

हो सकता है कि पुलिस उनकी हंसी उड़ाए या उन पर घटिया टिप्पणी करे.

पुलिस:

- यौन हिंसा की जानकारी होने के बाद भी घटना पर कोई कार्रवाई ना करे
- किसी महिला या लड़की की विकलांगता की बात दर्ज ना करे जिससे वह उचित सहायता प्राप्त कर सके

- शायद उसे यह पता नहीं हो कि किसी विकलांग महिला या लड़की से यह कैसे पूछें कि उसके साथ क्या हुआ या फिर वह अपनी बात किस प्रकार बताना चाहती है

विकलांग महिलाओं और लड़कियों के लिए सहायता

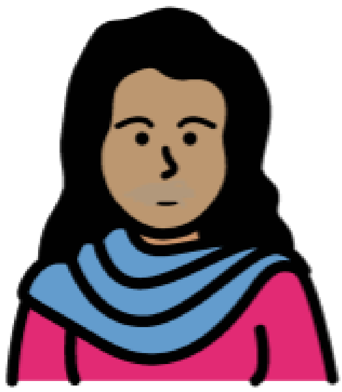

अनेक विकलांग महिलाओं और लड़कियों को यौन हिंसा का शिकार होने पर उचित सहायता नहीं मिल पाती है.

उन्हें किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह ही ऐसी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है.

उदाहरण के लिए, विकलांग महिलाओं और लड़कियों के पास होनी चाहिए:

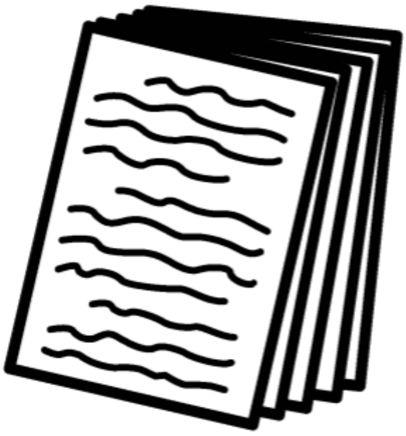

- घटना के बारे में बताने और उसे समझने हेतु सहायता
- हालात का सामना करने और बेहतर महसूस करने के लिए सहायता

- अपने अधिकारों के बारे में जानकारी

स्वास्थ्य देखभाल

यौन हिंसा का शिकार होने पर महिलाओं और लड़कियों को तुरंत चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए.

यह पता लगाया जाना चाहिए कि उन्हें किस तरह के चिकित्सीय उपचार की जरूरत है और उनके साथ क्या हुआ.

हो सकता है स्वास्थ्य कर्मचारी विकलांग महिलाओं या लड़कियों को चिकित्सीय जांच की जानकारी नहीं दे या उन्हें नहीं पूछे कि क्या वे जाँच कर सकते हैं.

इससे विकलांग महिलाएं और लड़कियां बहुत डर सकती हैं.

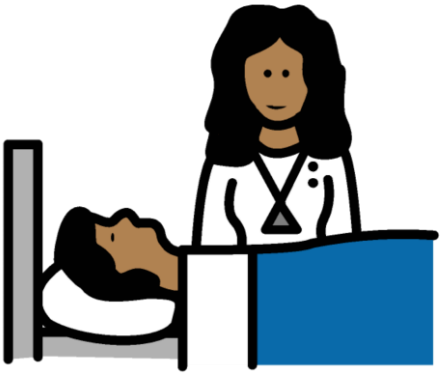

कुछ स्वास्थ्य कर्मचारी महिलाओं और लड़कियों के निजी अंगों की चिकित्सीय जांच करते हैं.

लेकिन वे यह नहीं समझाते कि क्या होगा या यह नहीं पूछते कि क्या वे ऐसा कर सकते हैं.

ये जांच केवल तभी की जानी चाहिए यदि महिलाओं और लड़कियों को वास्तव में उनके स्वास्थ्य के लिए इसकी आवश्यकता हो और अगर वे कहती हैं कि ऐसा करना ठीक है.

जांच यह पता करने के लिए नहीं की जानी चाहिए कि क्या महिलाएं और लड़कियां पहले सेक्स कर चुकी हैं.

भारत सरकार ने अब तक क्या किया है

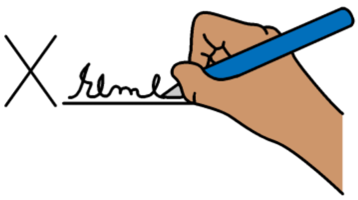

भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने का वादा किया है कि सभी विकलांग लोगों को उनके अधिकार मिलें.

सरकार ने 2007 में इससे संबंधित एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया.

तब से सरकार ने इन मुद्दों से संबंधित कुछ नए कानून और नियम बनाए हैं:

- विकलांग लोगों के अधिकार
- यौन हिंसा का शिकार बच्चों के अधिकार

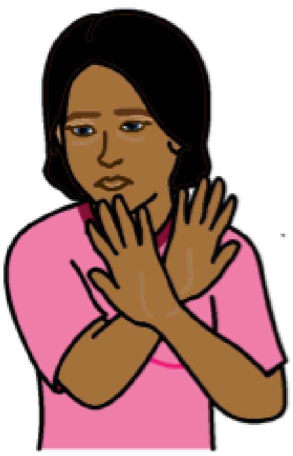

2013 में, सरकार ने यौन हिंसा से संबंधित कानून को बदलाव किया.

नया कानून यौन हिंसा का शिकार होने पर विकलांग महिलाओं और लड़कियों के लिए सहायता प्राप्त करना आसान बनाती है.

उदाहरण के लिए, कानून के मुताबिक अब विकलांग महिलाएं और लड़कियां:

- घर या अपनी पसंद की किसी अन्य जगह पर पुलिस के समक्ष यौन हिंसा की रिपोर्ट दर्ज करा सकती हैं
- अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराने और अदालत जाने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता प्राप्त कर सकती हैं
- वीडियो के जरिए अपने साथ हुई घटना के बारे में बता सकती हैं

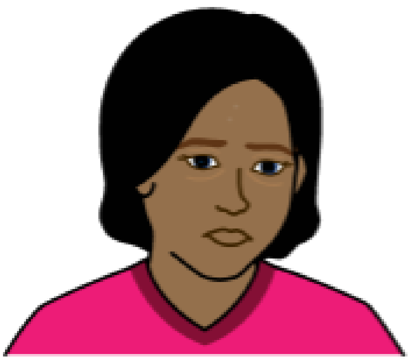

लेकिन इन परिवर्तनों में से कई अभी तक ज़मीन पर नहीं उतर पाए हैं.

इससे विकलांग महिलाओं और लड़कियों के लिए जरूरी सहायता प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है.

भविष्य के लिए हमारी अपेक्षा

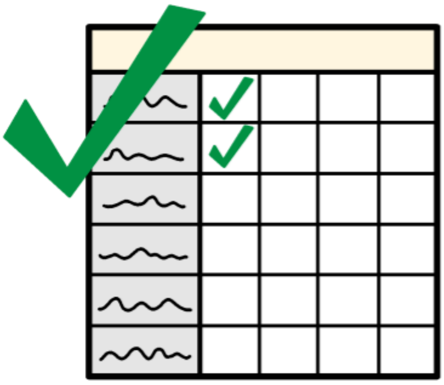

निम्नलिखित परिवर्तनों के लिए भारत सरकार को विकलांग लोगों और अन्य विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करना चाहिए:

यौन हिंसा के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना

सुनिश्चित करे कि आवश्यक होने पर विकलांग महिलाओं और लड़कियों को तुरंत सहायता प्राप्त हो.

उदाहरण के लिए, महिलाओं और लड़कियों के लिए विशेष फोन लाइन की स्थापना करे ताकि अपने साथ यौन हिंसा होने पर वे कॉल कर सकें.

और यह सुनिश्चित करे कि विभिन्न विकलांगता वाली महिलाओं और लड़कियों द्वारा इस फोन लाइन का इस्तेमाल किया जा सके.

सुलभ जानकारी

सुनिश्चित करे कि विकलांग महिलाओं और लड़कियों को ऐसी जानकारी मिले जिससे कि वे इन बातों के बारे में समझ सकें:

- अपने अधिकार
- अपने साथ यौन हिंसा होने पर क्या करें
- उन्हें मिलने वाली सहायता
- उन्हें होने वाली चिकित्सीय जांच

पुलिस और अदालतें

सुनिश्चित करें कि अगर महिलाएं और लड़कियां विकलांग हैं तो पुलिस इसे दर्ज करे जिससे कि वे उचित सहायता प्राप्त कर सकें.

सुनिश्चित करें कि विकलांग महिलाएं और लड़कियां यह समझ सकें कि पुलिस ने क्या मामला दर्ज किया है.

और ज्यादा संख्या में समुचित रूप से प्रशिक्षित महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती करें.

उचित सहायता

सुनिश्चित करें कि सभी विकलांग महिलाओं और लड़कियों को जरूरी सहायता मिले.

उदाहरण के लिए, ये सब मुहैया करायी जा सकती हैं:

- तत्काल चिकित्सा देखभाल
- हालात से निपटने और सुरक्षा के लिए मदद

- उन्हें दी जा रही जानकारी या उनकी संकेत भाषा को समझने में सहायता के लिए कोई व्यक्ति

- उन्हें मुफ्त में वकील प्राप्त करने के लिए सलाह
- अदालत में उन्हें सुरक्षित तरीके से बयान देने के लिए सहायता

- इलाज और हालात से निपटने में मदद के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता

ऐसे लोग जो महिलाओं और लड़कियों को उचित सहायता प्राप्त करने में मदद कर सकते हों

सुनिश्चित करें कि ऐसे सहयोगी लोग हों जो:

- पता कर सके कि किसी व्यक्ति को विकलांगता है
- विकलांग महिलाओं और लड़कियों को जरूरी सहायता प्रदान करें

सहयोगी लोग इनके साथ काम कर सकते हैं:

- पुलिस और अदालत
- महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षित रखने में मदद करने वाले समूह
- अस्पताल और चिकित्सा केन्द्रों के स्वास्थ्य कर्मचारी

प्रशिक्षण

सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों को विकलांग महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों और उनकी सहायता के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त हो.

उदाहरण के लिए, इन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए:

- पुलिस, जज और अदालत के कर्मचारी
- बच्चों को सुरक्षित रखने या महिलाओं और लड़कियों की सहायता के लिए काम करने वाले लोग
- डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी

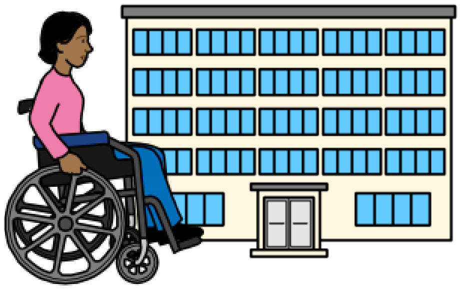

भवन और सहायता सेवाएं

सभी विकलांग महिलाओं और लड़कियों के उपयोग के लिए भवनों और सहायता सेवाओं को सुलभ बनाएं.

उदाहरण के लिए:

- थाना, अस्पताल, चिकित्सा केंद्र और अदालतें
- हिंसा का शिकार होने पर महिलाओं और लड़कियों के लिए आश्रय स्थल
- मदद की ज़रूरत होने पर कॉल करने के लिए महिलाओं और लड़कियों हेतु विशेष फोन लाइन

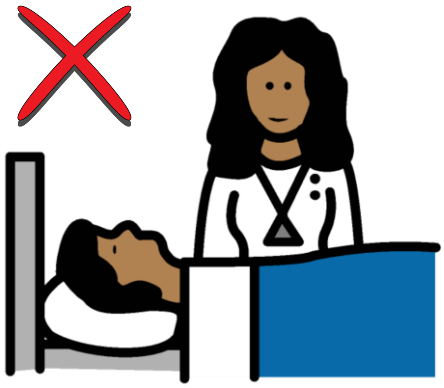

चिकित्सीय जांच

केवल वही चिकित्सीय जांच करें जो कि महिलाओं और लड़कियों के लिए जरूरी हों.

सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य कर्मचारी महिलाओं और लड़कियों से यह पूछें कि क्या वे कोई जांच कर सकते हैं.

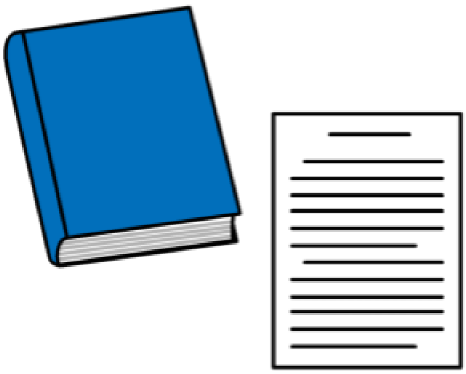

सरकार के लिए जानकारी

विकलांग महिलाओं और लड़कियों के ख़िलाफ़ होने वाली यौन हिंसा के बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करे.

ज्यादातर तस्वीरें द पिक्चर कम्युनिकेशन सिम्बल्स की हैं. © 1981-2016 मेयर-जॉनसन एलएलसी ए टोबी डिनोवॉक्स कंपनी. वैश्विक सर्वाधिकार सुरक्षित. www.boardmakeronline.com पर हजारों स्रोत मुफ्त में उपलब्ध.